



राजस्थान सरकार



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 23/22

दायर दिनांक:-02.02.2022

पीठासीन अधिकारी-श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. जोरा देवी पत्नि मूलाराम जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
2. मूलाराम पुत्र सुवा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थी

बनाम

1. उगमाराम पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
2. गोविन्द राम पुत्र अमरचन्द जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
3. छोटूराम पुत्र तेजाराम जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
4. जगदीश पुत्र अमरा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
5. देवकरण पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
6. नन्दाराम पुत्र सांवला जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
7. नोरत पुत्र सांवला जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
8. पुखराज पुत्र हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
9. पूजा पुत्री हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
10. बजरंग पुत्र हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
11. बन्नालाल पुत्र रामा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
12. बल्बाराम पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
13. मदनलाल पुत्र रामा जाति जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
14. रतन लाल पुत्र रामा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
15. हिरा देवी पुत्री रामा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
16. मथूरा पत्नि रामरतन जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
17. रामकरण पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
18. नाबालिग मोसम पुत्री रामरतन जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
19. रामचन्द्र पुत्र सुवा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
20. नाबालिग राहुल पुत्र रामरतन जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
21. रोहित पुत्र रामरतन जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
22. श्योजीराम पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
23. सजनी पत्नि हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
24. सुनिता पुत्री हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
25. सुप्यार पुत्री हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
26. सरजू देवी पत्नि रामकरण जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
27. सूरजमल पुत्र भंवरा जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
28. सीमा पुत्री हनुमान जाति जाट नि0 घसवां की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़
29. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
30. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ वड़ोदा शाखा रूपनगढ़



.....अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 22.06.2022




प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घसवां की ढाणी पटवार हल्का मोरडी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 27 रकबा 0.9708 है0 भूमि अवस्थित है। जमाबन्दी में प्रार्थीया जोरा पत्नि मुला 1/6 हिस्सा व प्रार्थी मूला पुत्र सुवा 1/12 हिस्सा व अप्रार्थीगण उगमाराम का हिस्सा 1/84, गोविन्द का हिस्सा 1/12, छोटूराम का हिस्सा 1/9, जगदीश का हिस्सा 1/12, देवकरण का हिस्सा 1/84, नन्दराम का हिस्सा 1/36, नोरत का हिस्सा 1/36, पुखराज का हिस्सा 1/252, पूजा का हिस्सा 1/252, वजरंग का हिस्सा 1/252, बन्नालाल का हिस्सा 1/36, बल्वाराम का हिस्सा 1/84, विदाम का हिस्सा 1/36, मथूरा का हिस्सा 1/336, मदनलाल का हिस्सा 1/36, नाबालिग मोसम का हिस्सा 1/336, रतनलाल का हिस्सा 1/36, रामचन्द्र का हिस्सा 1/12, रामचरण का हिस्सा 1/84, नाबालिग राहुल का हिस्सा 1/336, रोहित का हिस्सा 1/336, श्योजीराम का हिस्सा 1/84, सजनी का हिस्सा 1/252, सुनिता का हिस्सा 1/252, सुप्यार का हिस्सा 1/252, सरजू देवी का हिस्सा 1/84, सूरजमल का हिस्सा 1/9, सीमा का हिस्सा 1/252, निहित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में जमाबन्दी हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त जमाबन्दी में दर्ज खातेदार विदाम फौत हो चुकी है उनके वारिसान को अप्रार्थीगण बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नींव, सींव से बंटवारा नहीं होने के कारण आए दिन वाद विवाद होता रहता है। पूर्व में मारपीट व फोजदारी हुई थी। दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने गए तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर बिना नींव, सींव बंटवारे के जगह-जगह मिट्टी खोद रहे थे। भूमि की ढलान को परिवर्तित कर रहे थे। अप्रार्थी गोविन्द व जगदीश उक्त भूमि में नीवे खोदकर मकान निर्माण करने पर उत्तारू थे। अप्रार्थीगण मिट्टी खोदकर मिट्टी को बेचने पर उत्तारू थे। अप्रार्थीगण को मय नींव, सींव के बंटवारे के कोई कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14, अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 23, अप्रार्थी संख्या 26, 27 व 29, 30 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं लिखित बहस अनुसार अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।


उपस्थित अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)